

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज-6 / 2014 / पार्ट-1 / 15

जयपुर, दिनांक २२-०५-२०१६

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) संपर्कित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 6(1)राज-6 / 2014 / पार्ट-1 / 13 दिनांक 20.04.2016 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा रखे,

(कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मारो राजस्व मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक २२-०५-२०१६ में प्रकाशित हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. रक्षित पत्रावली।
12. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।

संयुक्त शासन सचिव